(23)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– 1061 /पटना,
संoसंo– 4 तकo विविध/सी/929/2013 दिनांक– 17.06.15

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना।
महानिरीक्षक, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना।
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
निदेशक, (हoरेo), बिहार, पटना।
निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना।
निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना।
उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी निगम
(बियाडा/बीoएसoएफoसीo/बिसिको/उद्योग मित्र), बिहार, पटना।
उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी,
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–1 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए विभागीय पत्रांक 2516, दिनांक 22.07.2011 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत प्रकिया में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–1 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए विभागीय पत्रांक 2516, दिनांक 22.07.2011 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत प्रकिया में विभागीय पत्रांक 5639 दिनांक 23.11.2012 द्वारा संशोधन किया गया है।

पुनः निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 2320, दिनांक 19.05.15 के आलोक में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–1 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों के लिए विभागीय पत्रांक 2516, दिनांक 22.07.2011 द्वारा स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क में छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु निर्गत प्रकिया के अनुलग्नक–I की कंडिका–3 की उप कंडिका–vii के बाद दो नई उप कंडिकाएँ– vii (क) एवं vii (ख) जोड़ी जाती है, जो निम्न प्रकार है:–

" vii (क) औद्योगिक इकाइयाँ स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक 2516 दिनांक 22.07.2011 के साथ संलग्न अनुलग्नक–II के प्रपत्र–I में भरकर निर्धारित सभी आवश्यक कागजातों के साथ संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा (जो भी लागू हो) को समर्पित करेंगे; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रबंध निदेशक, बियाडा औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त आवेदन पत्र को निर्धारित अवधि में जाँच कर अपनी स्पष्ट अनुसंशा के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के मामले में उद्योग निदेशक एवं बृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के मामले में निदेशक, तकनीकी विकास को अग्रसारित करेंगे।"

" vii (ख) विभागीय आदेश ज्ञापांक 2442 दिनांक 15.07.2011 के द्वारा उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा विभागीय आदेश ज्ञापांक 2443 दिनांक 15.07.2011 के द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा बृहत् प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की राशि

की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। संशोधनों के बाद विभागीय पत्रांक 2516, दिनांक 22.07.2011 इस हद तक संशोधित होगी।"

विश्वासभाजन
15/6/2015
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 1061 /पटना, दिनांक– 17.06.15
सं0सं0– 4 तक0 विविध/सी/929/2013
प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/6/2015
सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

6